



2026:AHC:50624-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4492 वर्ष 2026

गंगाप्रसाद

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव नारायण पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दायर की गई है:-
"(i) मेंडमस की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश दिया जाए कि वे केस क्राइम संख्या 255/2025 (पुलिस थाना गुजैनी, जिला कानपुर नगर) से संबंधित दिनांक 03.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में, बी.एन.एस. की धारा 103(1) और 351(3) के तहत, किसी स्वतंत्र जांच टीम/एजेंसी के माध्यम से, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, एक निष्पक्ष, उचित और तटस्थ जांच संपन्न कराएं।"
(ii) कोई भी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।
(iii) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाए।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता प्रथम सूचनादाता है और उसने दिनांक 03.12.2025 को विवादित एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी,

सीआरएलपी संख्या 4492 वर्ष 2026

2

तथापि, पुलिस इस मामले की जाँच निष्पक्ष एवं तटस्थ ढंग से नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस आयुक्त, जिला दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वह अपनी शिकायत को उजागर करे और निष्पक्ष तथा तटस्थ जांच की मांग करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस आयुक्त, जिला दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर), इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपर्युक्त आदेश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।